

070

फार्म 'अ'

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

राज्य अधिकारी(रा0)के न्यायालय में मामला क्रमांक 202505050100013 / 2024-2025

वृक्ष काटने की अनुमति बाबत.....मामले की श्रेणी.....अ-62.....सन्.....2024-2025

म -.....कोरबाबन्दोबस्त क्रमांक.....पटवारी हल्का क्रमांक.....16.....तहसील.....कोरबा.....

कलेक्टर का क्रमांक.....सन्.....अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांकसन्.....2024-2025

तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....नायब तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही जितेन्द्र सिंह राजपूत बनाम छ0ग0शासन	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
21/5/25-	—आवेदक जितेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी—पुरानी बस्ती कोरबा, तहसील व जिला—कोरबा, छ0ग0 द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र क्रमांक 25270047630 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आंगन बाड़ी केन्द्र क्रमांक देवांगनपारा 2 के परिसर में नीम एवं नीलगिरी का बड़ा वृक्ष है, जिससे टहनियाँ टूट कर पास के मकान तथा परिसर में गिरता है साथ ही सूखे पत्तों से कचारा भी फैलता है। टहनियों के गिरने से किसी प्रकार की हानि होने की पूर्ण संभावना है, जिसे छंटाई करायी जावे। —उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप—घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। —प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। —प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप -घ. का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में आवेदित वृक्ष नीलगिरी एवं नीम आंगन बाड़ी केन्द्र के बाउण्ड्री के अंदर स्थित है, जिसका डंगाल चारो ओर फैला हुआ है, जन-धन की सुरक्षा हेतु 02 वृक्ष कटवाने की अनुमति दिये जाने हेतु लेख किया गया है। —छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। — अतः लोकहित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से आंगन बाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 देवांगनपारा के बाउण्ड्री के अंदर स्थित 01 नग नीम एवं 01 नग नीलगिरी के डंगाल को छंटाई करने की अनुमति दी जाती है। —वृक्षों की कटाई किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। —संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।	

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

928
05/05/2025

प्रति,

जितेन्द्र सिंह राजपूत पिता ना0मा0
ग्राम-कोरबा(पुरानी बस्ती)
तहसील-कोरबा, थाना/सिटी कोतवाली
जिला-कोरबा

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के डंगाल की छंटाई करने की अनुमति बाबत।

विषयान्तर्गत आवेदक जितेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी-पुरानी बस्ती कोरबा, तहसील व जिला-कोरबा, छ0ग0 द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र क्रमांक 25270047630 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आंगन बाड़ी केन्द्र क्रमांक देवांगनपारा 2 के परिसर में नीम एवं नीलगिरी का बड़ा वृक्ष है, जिससे टहनियों टूट कर पास के मकान तथा परिसर में गिरता है साथ ही सूखे पत्तों से कचारा भी फैलता है। टहनियों के गिरने से किसी प्रकार की हानि होने की पूर्ण संभावना है, जिसे छंटाई करायी जावे। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप-घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप -घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में आवेदित वृक्ष नीलगिरी एवं नीम आंगन बाड़ी केन्द्र के बाउण्ड्री के अंदर स्थित है, जिसका डंगाल चारो ओर फैला हुआ है, जन-धन की सुरक्षा हेतु 02 वृक्ष कटवाने की अनुमति दिये जाने हेतु लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोकहित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से आंगन बाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 देवांगनपारा के बाउण्ड्री के अंदर स्थित 01 नग नीम एवं 01 नग नीलगिरी के डंगाल को छंटाई करने की अनुमति दी जाती है।

वृक्षों की कटाई किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

पृ0क0 929 /अ0वि0अ0/वा0-1/2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 05/5/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)